न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 18/2019 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्रागपुरा–चुगलपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज0,

..... अपीलांट

बनाम

1. कैलाश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 चिरंजी लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम प्रागपुरा मजरा चुगलपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज0 ।
2. बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम प्रागपुरा मजरा चुगलपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज0।
3. सुरेश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री चिरंजी लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम प्रागपुरा मजरा चुगलपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज0।
4. उपखण्ड अधिकारी, रैणी जिला अलवर राज0।
5. तहसीलदार रैणी, जिला अलवर राज0।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री पवन सिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 27.11.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रैणी के निर्णय आवंटन दि0 14.08.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा संख्या हाल 57 रकबा 0.05 है0 गैर मुमकिन चाह साबिक खसरा नंबर 34 मिन किस्म बंजड अव्वल व 35 गैर मु0 कुआ वाके ग्राम प्रागपुरा–चुगलपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान मे स्थित है। जिस आराजी के साथ लगती हुई आराजी खसरा नंबर हाल 58 रकबा 0.06 है0 साबिक खसरा संख्या 34 मिन स्थित

है।जिस आराजी खसरा नंबर हाल 58 में मौके पर अर्सा दराज से मूर्ति मन्दिर श्री हनुमान जी महाराज बना हुआ है। जिस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं, भक्तों व पुजारी आदि के पीने के पानी की व्यवस्था सदैव आराजी खसरा नंबर हाल 57 में बने हुये कुए से ही होती रही है। आराजी खसरा नंबर हाल 57 राजस्व रिकॉर्ड संवत 2023–26 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 58 का ही भाग रहा है। जो दोनों ही खसरा नंबरान साबिक खसरा नंबर 34 से बने हैं।प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा बमिल्लत प्रत्यार्थीगण संख्या 4 व 5, आराजी खसरा नंबर हाल 57 में बने हुये कुए को अपने नाम से नियमितकरण कराने हेतु प्रत्यार्थी संख्या 5 के यहां माह फरवरी 2019 में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस प्रार्थना पत्र को प्रत्यार्थी संख्या 5 द्वारा अपने पत्रांक 49 दिनांक 13.05.2019 द्वारा प्रत्यार्थी संख्या 4 के यहां भिजवा दिया। जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 14.08.2019 द्वारा प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगाायत 3 को आवंटित करने का आदेश कर दिया। जिस आदेश दिनांक 14.08.2019 से व्यथित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा खसरा संख्या हाल 57 में बने हुये कुए को रेगुलाईज कराने की बाबत् अपना आवेदन पत्र माह फरवरी,2019 में प्रत्यार्थी संख्या 5 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि प्रत्यार्थी संख्या 5 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्राप्त करने का कोई अधिकार नही था लेकिन प्रत्यार्थी संख्या 5 द्वारा, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकार फरमाते हुये प्रत्यार्थी संख्या 4 के यहां भिजवा दिया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया कि प्रत्यार्थी संख्या 1 लगाायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआ खोदने तथा पम्पिंग सैट लगााने के लिये भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 10(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रारूप ख के अनुरूप तथा नियम 9 के अधीन प्रस्तुत नही किया गया तथा नियम 10(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यापित भी नहीं किया गया।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है कि गैर मुमकिन चाह खसरा संख्या 57 सिवाय चक को हमारे बुजुर्गान ने बनवाया था, लेकिन नामालूम कब यह कुआं सिवाय चक में दर्ज हो गया। यह कुआ हमारे खसरा नंबर 54 रकबा 0.92 है0 की मेडबन्दी के अन्दर ही स्थित है एवं खातेदारी के खसरा नंबर 54 की भूमि के अंदर ही मिला हुआ खसरा नंबर 57 एवं खसरा नंबर 54 के बीच नक्शे में बताई गई मेड केवल मौके के अनुसार नुमाईशी है। यह कुआ हमारे बुजुर्गान ने बनवाया था, जो सूखे पत्थरों से बना हुआ है। इस कुए से हमारी यह भूमि खसरा नंबर 54 रकबा 0.92 है0 की व अन्य इसी कुए से सिंचित होती आ रही है। अब इस कुए में पानी की कमी आ रही है। पानी का स्तर गहरा चले जाने के कारण इस कुए में हम मरम्मत एवं खुदाई कराना चाहते हैं।

इस संदर्भ में अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा करीब 15–20 साल पूर्व आराजी खसरा नंबर हाल 57 साबिक खसरा नंबर 34 मिन व 35 के पास की आराजी खसरा नंबर 54 साबिक खसरा नबर 32 व 33 को खरीद किया गया है।

आराजी खसरा नंबर 54 को खरीद करने से पूर्व खसरा नंबर 57 के आसपास प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगाायत 3 या उनके बुजुर्गान की कोई आराजी नही रही है। आराजी खसरा नंबर हाल 54 साबिक खसरा नंबर 32 व 33 में सिंचाई का स्रोत राजस्व रिकॉर्ड संवत 2023–26 के अनुसार सदैव से ही आराजी खसरा नंबर साबिक 31 हाल खसरा नंबर 52 से रहा है न कि खसरा नंबर हाल 57 साबिक खसरा नंबर 34 मिन व 35 से। इसके अलावा उन्होने अपने बुजुर्गान द्वारा उक्त कुआं बनवाये जाने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र या उनकी राय भी नहीं मांगी गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में वर्णित खसरा नंबर हाल 57 साबिक खसरा नंबर 34 बंजड अव्वल व 35 गैर मुमकिन कुआं से बना है जो आराजीयात साबिक राजस्व रिकॉर्ड संवत 2023–26 में नदी व नाले के बहाव व पानी के नीचे दबे हुये क्षेत्र में दर्ज है जिससे उपरोक्त आराजीयात राजस्थान भू–राजस्व नियम 1979 के नियम 4 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत किसी भी सूरत में किसी को भी आवंटित नही की जा सकती है। नियमानुसार कलक्टर द्वारा कुआं खोदने तथा पम्पिंग सैट लगााने के लिये भूमि का आवंटन करने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये एक उदघोषणा जारी करेगा, ऐसी उदघोषणा में आवंटन के लिये उपलब्ध भूमि का आवश्यक विवरण होगा तथा इसे स्थानीय समाचार पत्र में अथवा अन्य प्रकार से, जैसा कलक्टर तय करे प्रकाशित की जावेगी। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई प्रोसीजर अडोप्ट नहीं किया गया।

जबाव में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि उक्त आवंटन निर्धारित प्रकिया के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। कुआ हमारे खसरा नंबर 54 रकबा 0.92 है0 की मेडबन्दी के अन्दर ही स्थित है एवं खातेदारी के खसरा नंबर 54 की भूमि के अंदर ही मिला हुआ खसरा नंबर 57 एवं खसरा नंबर 54 के बीच नक्शे में बताई गई मेड केवल मौके के अनुसार नुमाईशी है। यह कुआ हमारे बुजुर्गान ने बनवाया था, जो सूखे पत्थरों से बना हुआ है। इस कुए से हमारी यह भूमि खसरा नंबर 54 रकबा 0.92 है0 की व अन्य इसी कुए से सिंचित होती आ रही है। अतः अपील अपीलाट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2019 का अवलोकन किया ।

तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी द्वारा कुआं का आवंटन नियम 11(2) में किया गया है। परन्तु भू–राजस्व नियम 1979 के नियम 5 के अंतर्गत भूमि से संबंधित सारे विवरण घोषित नही किये और कुआं खोदन व पम्पिंग सैट लगाने के लिये आरक्षित नही की गई है। नियम 9 की उदघोषणा नही की गई है। नियम 11 की पालना नही की गई है।यह नियम 12 की श्रेणी में भी नही आता है। चूंकि गत बंदोबस्त में भी गैर मु0 चाह है इसके चारों ओर काश्तकारों के खेत हैं। पास में ही खसरा नंबर 58 में गैर मु0 मन्दिर है जिससे इसका हित प्रभावित होता है। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा आवंटन करते समय संपूर्ण प्रकिया व नियमों की पालना नही कर न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध आवंटन किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी का आदेश दि0 14.08.2019 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर